उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 237वीं बैठक
दिनांक 03 अगस्त, 2016 का कार्यवृत्त

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 237वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री सदाकान्त, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई , जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :–

1–	श्री सदाकान्त	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन,उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2–	प्रो0(डॉ0) सुरभि शुक्ला	उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3–	श्री सिद्धार्थ सिंह	उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
4–	श्री सुशील कुमार टिबड़ेवाल	उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
5–	श्री रुद्र प्रताप सिंह	सचिव/आवास आयुक्त, आ0वि0प0	सचिव/सदस्य
6–	श्री सुशील कुमार गुप्ता	वित्त नियंत्रक	सदस्य
7–	श्री आर.के.अग्रवाल	मुख्य अभियंता	सदस्य
8–	श्री डी.सी.गुप्ता	वरिष्ठ नियोजक, प्रतिनिधि, सीटीसीपी उ0प्र0	सदस्य
9–	श्री सी.एस.बनौधा	उप निदे.,प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव सार्व. उद्यम विभाग	सदस्य
10–	श्री एस.के.सिंह	उपसचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, नगर विकास	सदस्य
11–	श्री सुभाष चन्द	अनु सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
12–	श्री ओ.पी.मिश्र	मुख्य अभियंता,उपाध्यक्ष, लख.वि. प्राधिकरण,लखनऊ	आमंत्री सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मण्डल तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये :–

विषय सूची

मद सं0	विषय	निर्णय
237/1	परिषद की 236वीं बैठक दिनांक 31 मई, 2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की 236वीं बैठक दि0 31.05.16 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
237/2	परिषद की 236वीं बैठक दिनांक 31 मई, 2016 की अनुपालन आख्या।	परिषद की 236वीं बैठक दि0 31.05.16 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

प्रशासन अनुभाग

237/3	उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (दसवां संशोधन), नियमावली 2012 को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (दसवां संशोधन), नियमावली 2012 को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
237/4	अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता पद की सेवा विनियमावली में संशोधन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
237/5	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)/अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) के पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
237/6	अवर अभियन्ता (सिविल)/अवर अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) के पद पर प्रोन्नति द्वारा भी नियुक्ति किये जाने	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सबआर्डिनेट इंजीनियरिंग (सिविल ओवरसियर्स) सर्विस रेगुलेशन्स–1973 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।	

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

237/7	योजना संख्या–7 शास्त्री नगर मेरठ स्थित कस्बा मेरठ के खसरा संख्या–3947 से 3951 तक की समायोजित भूमि हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।
237/8	आवासीय भूखण्ड सं0 ए–411 इन्दिरानगर लखनऊ के आवासीय से कार्यालय हेतु भू उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव नियमों से आच्छादित न होने के फलस्वरुप तकनीकी बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण कर, आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
237/9	इन्दिरानगर विस्तार योजना लखनऊ में समाविष्ट ग्राम इस्माइलगंज के खसरा संख्या–101 व 102 सेक्टर 12 की भूमि का भू–उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तन किए जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त विकल्प–1 का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया कि तीन माह के अंदर सम्पूर्ण धनराशि जमा करायी जाय।
237/10	परिषद की यू0पी0आई0एल0 योजना, लखनऊ में सिटी माण्टेसरी स्कूल को आवंटित भूखण्ड के एफ0ए0आर0 के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर सी.टी.सी.पी. जो परिषद के एक सदस्य भी है, से तकनीकी परामर्श प्राप्त किया गया जिसके आलोक में प्रकरण को अनुमोदित किया गया।
237/11	इण्टीग्रेटेड आवासीय नीति के अधीन बल्क भूमि आवंटन प्रणाली के अन्तर्गत सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद में शासनादेश संख्या–3907/8–3–2008 –11 विविध/ 2008 दिनांक 9, जुलाई 2008 के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर 5 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

237/12	परिषद की भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–4 मथुरा में समाविष्ट ग्राम–अल्हैपुर एवं ग्राम–छटीकरा का कुल क्षेत्रफल 106.3061 हेक्टेयर भूमि को भूस्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया तथा परिषद द्वारा मथुरा जनपद में आवासीय योजना को विकसित करने हेतु भूमि के क्रय करने के सम्बंध में कतिपय विकल्प उपलब्ध है। समस्त विकल्पों का इस आशय से सुविचारित अध्ययन/परीक्षण करा लिया जाय कि जो भूमि विकास की दृष्टि से सबसे उपयुक्त हो तथा दर की दृष्टि से कम हो, उस पर विचार किया जाय। संज्ञान में लाया गया है कि मथुरा में डी.एम. सर्किल रेट पर भी भूमि उपलब्ध है, इस हेतु फील्ड स्तर पर परीक्षण करा लिया जाय तथा युक्तियुक्त सुविचारित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

		मा0 निदेशक मंडल के समक्ष बैठक में यह भी तथ्य लाये गये कि पूर्व में परिषद द्वारा बहुत से जनपदों/नगरों में आवासीय योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया था और उसके लिये भूमि अधिग्रहण की विधिक कार्यवाही भी प्रारम्भ की गयी थी, बहुत सी योजनाओं में आंशिक भूमि प्राप्त हो गयी तथा अधिक भूमि विवादों के कारण उसका उचित समाधान नही हो पाया है। बहुत से प्रकरण वर्ष 1980 से अब तक विवादित चल रहें है। इससे जहां एक ओर वादों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा परिषद से भी कोई निर्णय नही हो पा रहा है। इन परिस्थितियों में किसान तो परेशान है ही साथ ही परिषद की योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। परिषद की भूमि अधिग्रहण की विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अब तक जिन पर निर्णय नही हुए है उनमें भूमि–विवाद एक महत्वपूर्ण कारक है। इस तरह के प्रकरण अलीगढ़, मेरठ, मथुरा, शाहजहांपुर, रायबरेली, हाथरस, मुजफ्फरनगर, उन्नाव, लखीमपुर, वाराणसी, हरदोई, कानपुर, हापुड़, जौनपुर एवं अन्य नगरों में है। भारत सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 जो पूरे देश में लागू है जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा नगरीय क्षेत्र में दो गुना प्रतिकर देने की व्यवस्था की गयी है। यहां यह विचारणीय है कि बहुत पुरानी योजनाएं जो लगभग 20 वर्ष पहले आवासीय योजनायें प्लान की गयी थी, क्या आज की स्थिति में प्रासंगिक रह गयी है, प्रायः इस तरह के प्रकरण के संदर्भ बोर्ड के समक्ष आते रहते है, अनेक मामले मा0 न्यायालयों में विचाराधीन होने के कारण लंबित रहते है। अतः सैद्धान्तिक रुप से नीतिविषयक निर्णय लेकर समाधान की सम–सामयिक आवश्यकता है। इस सम्बंध में सम्यक विचारोपरान्त जहां भूमि का मूल्य अधिक होने के कारण, विक्रयशीलता की दर अधिक होने, अवैध कब्जे, मा0 न्यायालयों में विवाद आदि के कारण योजना का संचालन नहीं शुरु हो पा रहा है, का उचित समाधान आवश्यक है। इसके लिये तीन स्तर पर निर्णय लिये जाने की आवश्यकता है।

		फील्ड स्तर पर जोनल अपर आवास आयुक्त/संयुक्त आवास आयुक्त की अध्यक्षता में तथा जहां पर जोनल अपर/संयुक्त आयुक्त नही है, वहां पर अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में सम्बंधित अनुभागों की एक समिति गठित की जाय, समिति स्थलीय परीक्षण करें, विधिक स्थिति का ऑकलन करके सम्बंधित भू–स्वामियों से वार्ता करके समेकित एवं सुविचारित प्रस्ताव परीक्षण हेतु **द्वितीय स्तर** पर अपर आवास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें मुख्य अभियंता, वित्त नियंत्रक, मुख्य विधि परामर्शी, वास्तुविद नियोजक सदस्य होंगे, को भेजा जायेगा। द्वितीय स्तर की समिति अपनी संस्तुति को **तृतीय स्तर** पर आवास आयुक्त को प्रशासनिक रुप से परीक्षण हेतु भेंजेंगे। आवास आयुक्त अपनी संस्तुति मा0 निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि यह कार्य समयबद्ध एवं सुनियोजित रणनीति के अन्तर्गत संचालित किया जाय अर्थात माह अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर इन तीन माह में विशेष एवं सक्रीय अभियान चलाया जाय। पुराने एवं जटिल भूमि विवादों का सकारात्मक समाधान इस तरह से निकाला जाय जिससे किसानों के भूमि विवादों तथा शिकायतों का सकारात्मक समाधान सुनिश्चित हो सकें।
237/13	मंझोला योजना सं0–4, भाग–2, मुरादाबाद के अन्तर्गत खसरा संख्या–970, 973, 974, 975, 976, 977/2, 978/3, 972/1, 960/2, 959/1, ग्लोब मेटल इण्डस्ट्रीज तथा खसरा संख्या–957/1, 958, 979/2 गेस्टल इण्डिया लि0 मुरादाबाद की भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यदि मौके पर सड़क की आवश्यकता हो तो उभय–पक्षों की सहमति से वार्ता करके उचित समाधान प्राप्त करने हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया गया।
237/14	परिषद की मंझोला योजना संख्या–4, भाग–2, मुरादाबाद के अन्तर्गत श्री विनोद खन्ना के खसरा संख्या–405, 1011 व 1020 की भूमि के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
237/15	कुर्सी रोड़ (विकास नगर) विस्तार योजना, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम खुर्रमनगर के खसरा संख्या–120 के भूस्वामी श्री रहमत इलाही को 500 वर्गमीटर भूमि का आवासीय दर का 20 प्रतिशत आसुधार शुल्क लेकर आवंटित	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	करने के सम्बन्ध में।	
237/16	मा0 विधायक श्री रामेश्वर सिंह यादव, विधायक 103, अलीगंज, एटा के पत्र दिनांक 16.05.2012 व दि 08.06.2016 (परिशिष्ट–1, 2) द्वारा कानपुर योजना संख्या–3 में समाविष्ट आराजी संख्या–891/8 क्षेत्रफल 0.287 हेक्टेयर भूमि पर परिषद अधिनियम 1965 की धारा–50 के प्राविधानों के अन्तर्गत बेटरमेन्ट शुल्क (आसुधार शुल्क) जमा कराकर समायोजन करते हुए बाउण्ड्रीवाल व अन्य निर्माण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
237/17	परिषद की योजना संख्या–1 कानपुर में समाविष्ट आराजी संख्या–68 के जुज भाग रकबा 500 वर्ग गज भूमि को श्री गोविन्द लाल के पक्ष में आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव वर्ष 1993 की दर पर अद्यावधिक व्याज लेकर आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।
237/18	परिषद की लोनी रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गाजियाबाद की समितियों के भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
237/19	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की रामघाट रोड़ योजना संख्या–13, अलीगढ़ की भूमि को भू–स्वामियों से आपसी समझौते से क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव मद सं0 237/12 के अनुसार अनुमोदित किया गया।
237/20	परिषद की मझोला योजना संख्या–4 भाग–1 मुरादाबाद में समाविष्ट ग्राम मझोला के खसरा संख्या–427 के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
237/21	इन्दिरानगर (बस्तौती गाजीपुर) योजना लखनऊ में समाविष्ट खसरा संख्या 614 रकबा 0–10–10–0 बीघा भूमि ग्राम गाजीपुर सैदुलनिशा परगना तहसील व जिला लखनऊ जिस पर शिव चबूतरा मंदिर, गौशाला एवं अन्य धार्मिक स्थल है का कुल क्षेत्रफल 1932.49 वर्ग मी0 भूमि पर निर्माण किया गया है का असुधार शुल्क/विकास शुल्क वर्तमान दर लेकर समायोजन/आवंटित करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
237/22	राजाजीपुरम् योजना लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बिहारीपुर के खसरा संख्या 276 रकबा 1–9–0 बीघा भूमि में से समायोजित की गयी 1642.87 वर्ग मीटर भूमि का वर्तमान दर का विकास	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का परीक्षण कर, आगामी बैठक में रखें जाने का निर्णय लिया गया।

	शुल्क लेकर समायोजित करने के सम्बन्ध में।	

समन्वय अनुभाग

237/23	स्वर्गीय के0एम0 अग्रवाल, सहायक अभियन्ता के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
237/24	परिषद की वर्तमान में संचालित योजनाओं में परिषद कार्मिकों के लिये स्टाफ भवन आरक्षित करने तथा स्थानीय निकाय को हस्तानांतरित योजनाओं में स्थित भवनों को अनारक्षित कर उनमें अध्यासित कार्मिकों के पक्ष में निजी रूप से आवंटित करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का पूर्ण परीक्षण इस आशय के साथ कर लिया जाय कि भविष्य में इसके दुरुपयोग की संभावना नगण्य हो, तदनुसार विनियम में संशोधित करके आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्पत्ति प्रबंध अनुभाग

237/25	परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद में बल्क सेल भूखण्ड सं0–4/बी0एस0–1 एवं 4/बी0एस0–5 के भुगतान शिड्यूल को रि–शिड्यूल किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव इस आशय से अनुमोदित किया गया कि पुनर्निर्धारित किश्तों के भुगतान में विचलन न हो तथा समय से किश्तों की अदायगी सुनिश्चित की जायेगी।
237/26	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में अजपा परिषद सहकारी आवास समिति लि0 के पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या – 11/जी0एच0–4 के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
237/27	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत आवंटित डूप्लेक्स भवन संख्या–2सी/391 पर आरोपित ब्याज माफी के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
237/28	परिषद योजना में शैक्षिक भूखण्डों के आवंटन पश्चात् भुगतान के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक टिप्पणी।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
237/29	व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–13/एस–2 के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या–14491/2016 अमाया ग्रीन प्रोजेक्ट प्रा0लि0 बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2014 के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से इस आशय के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया कि इसी माह इस भूखण्ड की खुली नीलामी करवाकर निस्तारण कराया जाय।

पंजीकरण अनुभाग

237/30	अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर–5 में स्टेट बैंक स्टाफ हेतु 2बी0एच0के0 के 132 नग एवं 3बी0एच0के0 के 88 नग कुल 220 नग फ्लैट्स के विशिष्ट पंजीकरण खोले	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	जाने के सम्बन्ध में।	

अभियंत्रण अनुभाग

237/31	अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर–1 में अवध शिल्प ग्राम के निर्माण के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

237/32	भवन निर्माण उपविधि–2008 (यथा संशोधित–2011) में संशोधन 2016 को परिषद की योजनाओं में अंगीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव जो मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 15–07–2016 को परिचालन के माध्यम से अनुमोदित है को मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
237/33	जोनिंग रेगुलेशन गाजियाबाद महायोजना–2021 के अनुसार सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड संख्या–2ए/सी0सी0–01, वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद का भू–उपयोग / क्रियायें, शैक्षिक संस्थान/ स्कूल के रूप में अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन के निस्तारण के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
237/34	वृन्दावन योजना के सेक्टर–2ए में स्थित संस्थागत भूखण्ड संख्या– 2ए/आई0एन0एस0–1सी एवं 2ए/आई0एन0एस0–2 के भू– उपयोग परिवर्तन के उपरान्त ग्रुप हाउसिंग उपयोग अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
237/35	भवन निर्माण उपविधि–2008 (यथा संशोधित–2011) में संशोधन 2016 को परिषद की योजनाओं में अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	क्रमांक–32 पर निर्णय लिया जा चुका है।

प्रशासन अनुभाग

237/36	परिषद के पेंशनरों को दिनांक 01.07.2015 से महंगाई भत्ता, पुनरीक्षित दर से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
237/37	दिनांक 01.01.2016 से महगाई भत्ता, पुनरीक्षित दर से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

237/38	वृन्दावन योजना, लखनऊ के अन्तर्गत वर्ष–2002 से पूर्व के स्थित निर्माणों के समायोजन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

237/39	परिषद की दिल्ली–सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (मण्डोला विहार) में भूस्वामियों द्वारा धारा–28 से पूर्व एवं बाद में किये गये निर्माणों को अर्जनमुक्त सम्बन्धी किसानों की मांग के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
237/40	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सिकन्दरा योजना, आगरा के सेक्टर–9 में समाविष्ट ग्राम मौजा सिकन्दरा वाहिस्ताबाद परगना व तहसील व जिला–आगरा के खसरा संख्या–1148, 1149, 1150, 1151 व 1153 क्षेत्रफल 18,670.00 वर्गमीटर भूमि में से 3,000.00 वर्गमीटर भूमि वर्तमान दर पर आवंटित करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
237/41	महोली भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–1 मथुरा में समाविष्ट खसरा संख्या–2059 क्षेत्रफल 0.33 एकड़ अर्थात 1335.49 वर्ग मीटर भूमि पर निर्मित नोहरे की भूमि को आसुधार/विकास शुल्क लेकर समायोजित करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्पत्ति प्रबंध अनुभाग

237/42	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–15/कॉम–2 के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त एक वर्ष का समय दिये जाने का निर्णय लिया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

237/43	परिषद की सिकंदरा योजना, आगरा में विवादित/अतिक्रमित 36.73 एकड़ अविकसित भूमि का जहां है जैसे है, के आधार पर नीलामी के माध्यम से निस्तारण किये जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

प्रशासन अनुभाग

237/44	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में सीधी भर्ती के सहायक अभियंता के रिक्त 27 पदों को भरे जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
237/45	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	

अनुमोदित

(सदाकान्त)
अध्यक्ष